संख्या-86/2016/837/22-4-16-48(114)/97

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 27 जून, 2016

विषय- उत्तर प्रदेश की कारागारों में संचालित कैन्टीन की व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश की कारागारों में निरूद बंदियों को खाने-पीने एवं दैनिक प्रयोग की वस्तुओं को सुलभ कराने के उद्देश्य से कैण्टीन की व्यवस्था लागू किये जाने की स्वीकृति महानिरीक्षक कारागार को शासनादेश दिनांक 06.10.1997 द्वारा निर्गत की गयी थी। कालांतर में 13 खाद्य सामग्रियों को भी कैन्टीन के माध्यम से बन्दियों को सुलभ कराये जाने के निर्देश शासनादेश दिनांक 30.11.15 (प्रति संलग्न) द्वारा जारी किये गये हैं, जिसके अनुक्रम में कारागार मुख्यालय के परिपत्र संख्या-01/सामा-1(5)/कैन्टीन व्यवस्था/ 2015-16, दिनांक 07.01.2016 (प्रति संलग्न) में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेश एवं मुख्यालय द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कतिपय कारागारों द्वारा तत्परता नहीं बरती जा रही है, जिसके कारण कैन्टीन की नई व्यवस्था को अभी तक पूर्णतया लागू नहीं किया जा सका है। यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। बंदियों के हित में लिये गये उक्त निर्णय का अविलम्ब प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कारागारों में कैन्टीन व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी उपरोक्त शासनादेश/परिपत्र में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

देबाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव।

संख्या-86/2016/837(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि- महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in